



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 2068

बिलासपुर, दिनांक 07-09-2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू-प्रबंध)
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय : Diversion of Forest land for non-forest pupose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Janjgir-Champa Division "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPs & 85 Blocks through optical fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 district across the State", Area - 1.685 ha. Regarding.
पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43320/2019

संदर्भ : आपका पत्र क्र./विविध/270 दिनांक 06.02.2020 एवं वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल का पत्र क्र./तक./5076, दिनांक 31.08.2020

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि कोरबा जिले के जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य Optical Fiber Cable Line हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार आवेदक इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया है विवरण निम्नानुसार है :-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव

क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	01	आवेदनकर्ता, इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर छ0ग0 द्वारा 1.685 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।
2	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड वर्ष पंजीयन क्रमांक	02	रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/43320/2019 आवंटित किए गए हैं।
3	3 वन क्षेत्र विवरण	3-5	संलग्न है।
4	गैर वनक्षेत्र विवरण	06	संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोग्रीफ 1:50000 स्केल पर	7-10	संलग्न है।
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप	11-34	संलग्न है।
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव	35-41	संलग्न है।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	42-44	संलग्न है।
9	न्यूनतम वन क्षेत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र	45	संलग्न है।
10	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्य/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही	46	संलग्न है।

11	वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा	47-58	संलग्न है।
12	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र	59	संलग्न है।
13	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	60-63	संलग्न है।
14	जिले की कुल वन भूमि	64	जांजगीर जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) वन भूमि रकबा 25006.600 हे. है।
15	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि	65	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 232.894 हे. है।
16	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि	66	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि निरंक है।
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी	67	संलग्न है।
18	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ती प्रमाण पत्र	68-69	संलग्न है।
19	राजस्व वैन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	70-72	संलग्न है।
20	पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण	73	संलग्न है।
21	राष्ट्रीय उद्यान /वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंदर से जो ओ एफ सी गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा	74	संलग्न है।

प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेब साइट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्र./तक./ 2069

प्रतिलिपि :- 1. वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल, जांजगीर की ओर सूचनार्थ।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) सिविल लाइन रायपुर छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।


मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
बिलासपुर/दिनांक 07/09/2020


मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर छ0ग0 द्वारा सकती, अकलतरा, पामगढ़, डभरा ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग में वनभूमि पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 1.685 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित आरक्षित, संरक्षित, नारंगी एवं राजस्व वनभूमि 1.685 हे. Optical Fiber Cable Line का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित


(अनिल सोनी) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर